आचार संहिता

प्रारंभिक संदेश

यह आचार संहहता उन आदर्शों और हदर्शा–ननदेर्शों के समूह को प्रस्तुत करती है जो IOCHPE-MAXION की दूरदर्ईशिता, लक्ष्य, और मूल्यों से प्रेररत होते हुए वैश्ववक बाजार में हमारी गनतववधियों के प्रदर्शिन में संचालन व आचारनीनत के मापदंडों के संबंि में हमारी संस्था की अपेक्षाओं को दर्शािता है।

हमारे कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों, सेवा प्रदाताओं और आपूनतिकतािओं के माध्यम से IOCHPE-MAXION से संबंधित सभी गनतववधियों में नैनतक रूप से, ईमानदारी से और पारदर्शी रह कर कायि करने की हमारी वचनबद्दता हमारी कंपनी के स्थावपत होने से लेकर हमारी कारोबार की कायिनीनत और हमारे कारोबार के ववकास का मूल तत्तत्त्व रही है। यही वैश्ववक बाजार में हमारे द्वारा संचालन करने का ढंग भी है और यह मोटर गाडी के पहहयों के उत्तपादन में हमारे वैश्ववक नेतृत्तव के सर्शश्ततकरण, और साथ ही हमें अमरीका में मोटर गाडी के संरचनात्तमक पुरजों के उत्तपादकों के रूप में एक महत्तत्तवपूणि स्थान पर बने रहने के योग्य बनाने में मुख्य भूर्मका ननभाती है।

IOCHPE-MAXION के र्लए, अनुपालन का अथि है इस आचार संहहता और हमारे आन्तररक ननयमों के अनतररतत उन कानूनों व अधिननयमों को जानना, समझना और लागू करना जो ववvव स्तर पर हमारे कारोबार का संचालन करते हैं और जो हमारी संस्था की प्रनतष्ठा को सुननश्वचत करने और कंपनी की सम्पश्त्तत को सुरक्षक्षत रखने, और साथ ही हमारे कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों, र्शेयरिारकों, ग्राहकों, आपूनतिकतािओं और सेवा प्रदाताओं, सरकारों और सामान्य रूप में समाज के साथ अच्छे व उधचत संबंि सुननवचत करने के र्लए बनाये गए थे।

पररणामस्वरूप, हम यह स्वीकार और बदाितव नहीं करते कक यहााँ पर बतायी गई नैनतक वचनबद्दता और संचालन के मापदंडों के साथ समझौता हो।

हम इस आचार संहहता में बताये गए आदर्शों और हदर्शा–ननदेर्शों को अच्छी तरह से पढ़ने, समझने व इन पर दृढ़ रहने की आववयकता को बढ़ावा देते हैं और इस पर दबाव डालते हैं, और यह संहहता हर जगह और हर समय हमारी संस्था के सभी सदस्यों के र्लए लागू रहती है। हालांकक इस संहहता को स्पष्ट व ववस्तृत बनाने का प्रयास ककया गया है, लेककन इसमें उस प्रत्तयेक प्रवन व दुवविा का उत्ततर नहीं होगा श्जसका हम सभी सामना कर सकते हैं। इसर्लए, हम यह सलाह देते हैं कक आप इसे ननयमत रूप से देखें और कोई भी प्रवन होने पर हमसे सलाह लें या जब भी आपको महसूस हो कक सलाह लेने की जरूरत है।

इस आचार संहहता में बतायी गई अपेक्षाओं को सुरक्षक्षत रखने और उनका सम्मान करने की आपकी व्यश्ततगत वचनबद्दता हमारी संस्था की अववच्छेदता, ववकास और सफलता और हमारे भववष्य के र्लए अत्तयाववयक है।

हमारे साथ जुडें और इस महत्तवपूणि कायि का नेतृत्तव करें!

भवदीय,

Marcos Sergio de Oliveira
मुख्य कायिपालन अधिकारी, IOCHPE-MAXION S.A.

आचार संहिता

1. प्रयोजन

1.1. यह आचार संहहता ("संहहता") बबना ककसी अपवाद के IOCHPE-MAXION S.A., इसकी सहायक कंपननयों और संयुतत व्यापारों (श्जसे यहाँ आगे चलकर सामूहहक रूप में "IOCHPE-MAXION" या "कंपनी" कहा गया है) के सभी कमिचाररयों व प्रबंिन टीम के सदस्यों को पद या ककए गए काय़ि पर ध्यान हदए बबना ननर्शाना बनाती है और उन पर लागू होती है, और इनमें से प्रत्येक व्यश्तत को इस संहहता की जानकारी आववयक होनी चाहहए और उन्हें इस में बताये गए आदर्शों व हदर्शा-ननदेर्शों की समझ व सम्मनत की पुश्ष्ट करनी चाहहए।

1.2. यह संहहता IOCHPE-MAXION के सेवा प्रदाताओं व आपूनतिकताािओं ("आपूनतिकताािओं") को भी ननर्शाना बनाती है, श्जनको इस संहहता की जानकारी होनी चाहहए और उन्हें उन के अनुकूल सीमा तक इसमें बताये गए आदर्शों व हदर्शा-ननदेर्शों का अनुपालन करने के र्लए हर प्रयास करना चाहहए।

2. साधारण आदशश, लक्ष्य, दूरदभशशता व मूल्य

2.1. IOCHPE-MAXION इस पर लागू होने वाले कानूनों और अधिननयमों का सम्मान करती है और इसके कारोबार की श्स्थरता को सुननश्चचत करने के दृश्ष्टकोण के साथ इसकी गनतववधियों के संचालन में और इसके सभी र्शेयरिारकों के साथ नैनतक, श्जम्मेदार, ईमानदार, अग्रसकिय व पारदर्शी ढंग से काय़ि करने के र्लए पूणि रूप से वचनबद्ध है।

2.2. कंपनी द्वारा हदखायी गई इसी वचनबद्धता की अपेक्षा इसके कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों और आपूनतिकताािओं से भी की जाती है। IOCHPE-MAXION लागू कानूनों और अधिननयमों, इस संहहता या इसके आन्तररक ननयमों के साथ दुव्यिवहार या ककसी प्रकार के उल्लंघन को बदािर्शत नहीं करती।

2.3. IOCHPE-MAXION की दूरदर्र्शिता, लक्ष्य और मूल्य, जो नीचे हदए गए हैं, इस संहहता में बताये गए आदर्शों व अधिननयमों के बबल्कुल अनुकूल हैं और समूची संस्था में प्रसाररत ककए जाने चाहहए:

- **दूरदभशशता**: वैश्ववक लीडर बनना, नवाचार के जररए धचरस्थायी ढंग से ववकास करना, और हमारे लोगों को हमारे साथ र्मलकर मोटर गाडडयों की दुननया को ववकर्सत करने में भाग लेने के र्लए प्रेररत करना।
- **लक्ष्य:** ननरंतर नवाचार, कायिववधि सुिार और उत्तकृष्ट कमिचाररयों के जररए हमारे ग्राहकों के उत्तपादों की प्रनतयोधगतात्तमकता को ववशव स्तर पर सुिारते हुए लाभकर ढंग से पुरजे और मोटर गाडी के र्सस्टम प्रदान करना।
- **मूल्य:**
    - नैनतक रूप से व्यवहार करना और सामाज व वातावरण की दृश्ष्ट से श्जम्मेदार बनना।
    - हमारे कमिचाररयों का ववकास करना, उन पर ववववास करना, उन्हें सर्शतत करना और उनका सम्मान करना।
    - वचनबद्धता, स्वार्मत्तव की मानर्सकता, ननरन्तर सुिार और सहयोग के जररए पररणाम तैयार करना।
    - हमारे संसािनों का कायिकुर्शलता से इस्तेमाल करना और उच्च-स्तरीय ग्राहक संतुश्ष्ट हार्सल करना।

- नवाचार को प्रोत्तसाहहत करना और हमारे सभी कमिचाररयों की रचनात्तमकता को उन्मुतत करना।

3. सामाजजक और वातावरणीय ज़िम्मेदारी

3.1. IOCHPE-MAXION उत्तपादकता के साथ अपने कायों को पूरा करते हुए, उत्तकृष्ट उत्तपादों की आपूनति करते हुए और बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करते हुए, लागू कानूनों और अधिननयमों का अनुपालन करते हुए, संसाि‍नों का अपव्यय न करते हुए और अपने कायि-क्षेत्र के समुदायों के पयाि‍वरण, सांस्कृनतक मूल्यों, मानव अधिकारों और सामाश्जक संस्था का सम्मान करते हुए है अपनी सामाश्जक श्जम्मेदाररयों की पूनति करती है।

3.2. संभव होने पर और समय के साथ कंपनी की कायि-ववधियों के कारण पयाि‍वरण पर पडने वाले प्रभाव को कम करने और इसे न्यूनतम स्तर पर लाने के र्लए और साथ ही श्स्थरता के प्रनत इस वचनबद्दता को इसके कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों, आपूनतिकताि‍ओं और ग्राहकों और साथ ही व्यापक स्तर पर समुदाय में प्रसाररत करने के र्लए स्वास््य की रक्षा और पयाि‍वरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी की गनतववधियों का श्जम्मेदार रूप से संचालन ककया जाता है।

3.3. IOCHPE-MAXION अपने कायि-क्षेत्र के समुदायों के सामाश्जक-आधथिक व सांस्कृनतक ववकास को बढ़ावा देने का प्रयास भी करती है और नागररकता के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले सामुदानयक कायों और गनतववधियों में अपने कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों की स्वैश्च्छक सहभाधगता को बढ़ावा देती है और इसकी कदर करती है।

3.4. अपनी सामाश्जक श्जम्मेदाररयों को ध्यान में रखते हुए, IOCHPE-MAXION की तरफ से ननम्नर्लखखत मापदंड पूरे होने पर सामाश्जक, सांस्कृनतक या पयाि‍वरणीय क्षेत्रों के र्लए ि‍माि‍थि-अंर्शदान और दान हदया जाता है:

- स्थानीय कानूनों और अधिननयमों के अनुसार इसके र्लए आज्ञा है;
- दान लोकोपकारी संस्थाओं या अन्य पंजीकृत और प्रनतश्ष्ठत लाभ-ननरपेक्ष संस्थाओं को हदया गया है;
- लाभभोतता संस्था के उ□ेवय IOCHPE-MAXION के मूल्यों के अनुकूल हैं;
- दान उचित रार्र्श का है, और इसके अनतररतत निधी को लाभभोतता संस्था के नाम के बैंक खाते में हसततांतरण ककया जाना चाहहए;
- दान ककसी अनुधचत लाभ प्राप्त करने के उ□ेवय से नहीं ककया गया है।

4. कामकाजी वातावरण

4.1. IOCHPE-MAXION में कायि संबंि‍ि‍ों में पद या ककए गए कायि पर ध्यान हदए बबना मैत्रभाव, अनुर्शासन, सहानुभूनत, आपसी सम्मान और ववववास होना चाहहए।

4.2. कायि पररश्स्थनतयों में कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों को स्थानीय कानूनों और अधिननयमों का अनुपालन करने के अनतररतत सभी की गररमा को सुननश्श्चत करते हुए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान करना चीहहए। मानव अधिकारों का इनकी सविव्यापकता के र्लए सम्मान ककया जाना चाहहए तयोंकक यह बबना ककसी भेद-भाव के सभी के र्लए वैि‍ हैं, इनकी अववच्छेद्यता के र्लए सम्मान ककया जाना चाहहए तयोंकक कोई व्यश्तत इन अधिकारों से वंधचत नहीं रहता है, और इनकी अभाज्यता के र्लए सम्मान ककया जाना चाहहए तयोंकक यह एक दूसरे के साथ संबंधित हैं।

4.3. कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों के साथ ककए जाने वाले बरताव में भी ननष्पक्षता अत्तयाववयक है। IOCHPE-MAXION भेद-भाव या पक्षपात पर आिाररत ककसी भी व्यवहार को बदाि◌र्शत नहीं करती है, जैसे कक जानत, रंग, आयु, लंग, लैंधगक पहचान, लैंधगक-रूझान, वैवाहहक श्स्थनत, वपतृ, नस्ल या राष्ट्रीय उत्तपश्त्तत, ि◌मि, ववकलांगता, ककसी संघ के साथ बने संबंि◌ो◌ं या राजनीनतक ि◌◌ारणा, या ककसी अन्य पक्षपाती प्रनतबंि◌ से संबंधित भेदभाव।

4.4. IOCHPE-MAXION अपने कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों और आपूनतिकताि◌ओं के आपसी संबंि◌ो◌ं में नैनतक, लैंधगक या आधथिक उत्तपीडन जैसे ककसी भी ऐसे उत्तपीडन या अन्य प्रकार के अनुधचत व्यवहार को बदाि◌र्शत नहीं करती है श्जससे भय या र्शारीररक या मनोवैज्ञाननक पीडा का प्रनतकूल वातावरण उत्तपन्न हो, उदाहरण के र्लए:

- सामने वाले पक्ष की सम्मनत के साथ या बबना अनुधचत र्शारीररक स्पर्शि;
- लैंधगक र्शोषण के प्रयास, कामुक उ◌्देवय के साथ र्शारीररक अंग या अभद्र तस्वीरें हदखाना, या लैंधगक उत्तपीडन के अन्य व्यवहार;
- कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों या आपूनतिकताि◌ओं के साथ कायि-क्षेत्र पर या उनके कतिव्यों के प्रदर्शिन के र्लए अपमानजनक या लश्ज्जत करने वाला व्यवहार करना;
- भयभीत करने वाली कियाएं, जैसे कक अपमान करना, बदमार्शी करना या ि◌मककयां देना;
- छोटे पद के कमिचाररयों से ननजी लाभ या सेवाओं का आनंद लेने के र्लए अपने पद या अधिकारों का दुरुपयोग करना।

4.5. IOCHPE-MAXION सुरक्षक्षत और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के र्लए वचनबद्द है, और अपनी कायि-वविधयों में स्वास्◌्य और सुरक्षा पररश्स्थनतयों में सुि◌ार लाने और खतरे की श्स्थनतयों को कम करने का प्रयास करती है। लागू कानूनों और अधिननयमों के अनुसार आववयक सुरक्षात्तमक या खतरा कम करने वाले साि◌नों के बबना खतरे की श्स्थनतयों में कायि करने की आज्ञा नहीं है।

4.6. कायि-क्षेत्र में र्शराब और अवैि◌ दवाईयों का सेवन, प्रयोग, बबिी या इनको अपने पास रखना वश्जित है। और ना ही नर्शे की हालत में लोगों को या लोगों के व्यवहार में हस्तक्षेप करने वाली और अन्य लोगों के स्वास्◌्य, सुरक्षा और गनतवविधयों को प्रभाववत करने वाली अवैि◌ दवाईयों या पदाथों के प्रभाव आिीन व्यश्ततयों को IOCHPE-MAXION के पररसर में दाखखल होने या रहने की आज्ञा है।

4.7. IOCHPE-MAXION में कायि कर रहे सभी कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों, और साथ ही आपूनतिकताि◌ओं को कंपनी के आन्तररक ननयमों में उश्ल्लखखत सुरक्षा और बचाव उपायों के बारे में जानकारी अववय होनी चाहहए, और इन्हें IOCHPE-MAXION के पररसर में होने के दौरान या कंपनी की तरफ से कायि करते दौरान और साथ ही काम या सरववस के र्लए जाते समय रास्ते में ननयमानुसर व्यवहार में लाना चाहहए। उन्हें ककन्हीं असुरक्षक्षत पररश्स्थनतयों, हादसों या घटनाओं के बारे में संदेह होने पर ववभाग प्रभारी को तुरंत सूचना भी देनी चाहहए।

5. कमशचारी और प्रबंधन टीम के सदस्य

5.1. IOCHPE-MAXION में बाल मजदूरी की आज्ञा नहीं है और ना ही कंपनी 18 वषि से कम आयु के व्यश्ततयों को अपने उत्तपादन क्षेत्रों में कायि करने की अनुमनत देती है। र्शक्षाधथियों को स्थानीय कानूनों और अधिननयमों के अनुपालन में स्कूल की देखरेख और वविर्शेष साविानी के आिीन प्रर्शासकीय या तकनीकी क्षेत्रों में 16 वषि की आयु से लेकर भती ककया जा सकता है।

5.2. IOCHPE-MAXION ककसी प्रकार की गुलामी या जबरन मजदूरी या बलपूविक मजदूरी का ननषेि◌ करती है और मानव तस्करी का समथिन नहीं करती है, इसमें योगदान नहीं देती है, इसमें सहायता नहीं करती है या इसे अंजाम देना आसान नहीं बनाती है। और ना ही ककसी तरह के र्शारीररक या मनोवैज्ञाननक र्शोषण को र्शार्मल करते हुए अनुर्शासननक उपायों को बदाि◌र्शत ककया जाता है।

5.3. IOCHPE-MAXION में इसके कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों के चयन, दाखखले, आमदनी, मूल्यांकन या पदोन्ननत प्रकियाओं में अनुधचत या पक्षपाती आचरण या अनुधचत लाभ को स्वीकार नहीं ककया जाता। अन्यों के बजाय, ऊपर दी गई प्रकियाओं में ननम्नर्लखखत मापदंडों का प्रयोग ककया जाना चाहहए: तकनीकी तैयारी, शैक्षिक पृष्ठभूर्म, व्यतवसतनयक अनुभव, प्रदर्शिन, उधचत व्यवहार और रवैया, और समूह में कायि करने की योग्यता।

5.4. IOCHPE-MAXION अपने कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों के ननम्नर्लखखत आचरण को अस्वीकायि मानती है:

- इस तरह कारोबार का संचालन करना श्जसमें अनैनतक या अवैि पररश्स्थनतयां पाई जाती हैं, भले ही इसके पररणामस्वरूप IOCHPE-MAXION के पास उपलब्ि अवसरों में कमी आ जाए;
- ननजी या ननवषद्द उ॒ेवयों के र्लए IOCHPE-MAXION की या इसके ग्राहकों या आपूनतिकताि ओं की गोपनीय जानकारी का प्रयोग करना;
- अपने या तीसरे पक्ष के फायदे के र्लए IOCHPE-MAXION के सािनों का प्रयोग करना, पद या ककए गए कायि या IOCHPE-MAXION की ववर्शेष जानकारी का फायदा उठाना;
- प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से IOCHPE-MAXION के बाजार में प्रनतस्पवद्दियों के सहयोगी के रूप में सहभाधगता करनी (साविजननक कंपननयों के प्रबंिन पर प्रभाव डाले बबना इनके र्शेयरों में ननवेर्श करने के अलावा); ऐसी संस्थाओं के ननदेर्शक या अधिकारी, सलाहकारी या पयिवेक्षी मंडल के सदस्य, या ऐसी संस्थाओं के सलाहकार के रूप में कायि करना; या कंपनी के साथ प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से ककसी और ढंग के जररए प्रनतस्पद्दाि करनी;
- खुद के या तीसरे पक्ष के फायदों के र्लए ऐसे ग्राहकों, आपूनतिकताि ओं, प्रनतस्पवद्दियों या अन्य कंपननयों का लाभ करना या प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से उन्हें सुवविाएं प्रदान करना श्जनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापाररक संबंि हैं या जो ऐसे संबंि बनाने की इच्छा रखते हैं;
- ऐसे ग्राहकों, आपूनतिकताि ओं या अन्य कंपननयों से दानाथि कायों के अलावा प्रायोजन के र्लए अनुरोि करना, श्जनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापाररक संबंि हैं या जो ऐसे संबंि बनाने की इच्छा रखते हैं, और बर्शते कक इस अनुरोि के र्लए IOCHPE-MAXION के अनुपालन ववभाग ने पहले से ही स्वीकृनत दे दी है।

5.5. IOCHPE-MAXION के कमिचारी, ननदेर्शक और अधिकारी अपनी रोजमराि की गनतववधियों में और अपने पद और कायों के प्रदर्शिन में इस संहहता में बताये गए हदर्शा–ननदेर्शों के अनुसार कायि करने के र्लए श्जम्मेदार हैं, और उन्हें अपने प्रचार को भी बढ़ावा देना चाहहए और उन्हें यह सुननश्चत करना चाहहए कक उनके प्रभाव के अिीन और उनसे छोटे पदों पर कायि कर रहे कमिचारी उनका अनुपालन करें।

5.6. IOCHPE-MAXION की अपेक्षा है कक इसके कमिचारी, ननदेर्शक और अधिकारी इस संहहता के प्राविानों का अनुपालन करने की आववयकता के संबंि में ननयर्मत प्रर्शक्षण पाठिमों में भाग लें।

5.7. IOCHPE-MAXION के कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों द्वारा इस संहहता या इसके आन्तररक ननयमों के ककसी उल्लंघन का उनके प्रदर्शिन के मूल्यांकन पर प्रभाव होगा और हो सकता है कक पररणामस्वरूप इस संहहता में बताये गए अनुर्शासननक उपायों को लागू करना पडे।

6. व्यापार संघ

6.1. IOCHPE-MAXION व्यापार संघ की सौदेबाजी प्रकिया की उपयोधगता को पहचानती है, श्जसमें अपने सदस्यों द्वारा वैि बना संघ उन्हें यथाथि, ननष्पक्ष व स्वर्शार्सत रूप में प्रस्तुत करता है।

6.2. कामकाजी संबंिोिं में ननरंतर सुिार लाने के उद्देश्य से IOCHPE-MAXION संघों के साथ वाताालाप करने के अलावा कंपनी के कमिचाररयों के साथ सीिा संपकि बनाये रखेगी।

7. राजनीततक पाटी की गततववधधयां

7.1. कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों को IOCHPE-MAXION को ककसी राजनीनतक पाटी की गनतववधियों के साथ जोडने की आज्ञा नहीं है। पररणामस्वरूप, IOCHPE-MAXION के पररसर में चुनाव मुहहम चलाने या अन्य राजनीनतक पाटी गनतववधियां करने, कंपनी में अपने पद या कायि का फायदा उठाने, या ककसी राजनीनतक पाटी का प्रचार करने के र्लए IOCHPE-MAXION का नाम, संसािन या ककसी अन्य जररए का इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं है।

7.2. IOCHPE-MAXION की तरफ से कोई कमिचारी, ननदेर्शक या अधिकारी ककसी ऐसे देर्श में नकद, वस्तुओं या सेवाओं के रूप में योगदान या राजनीनतक दान नहीं कर सकता श्जसका कानून इसके र्लए आज्ञा ना देता हो। श्जन देर्शों में योगदान और राजनीनतक पाटी के र्लए दान करने की कानूनन रूप से आज्ञा है, वहााँ ये कायि केवल कंपनी के ननदेर्शक मंडल की पूवि अनुमनत के साथ ककये जा सकते हैं, बर्शते कक लागू कानूनों और अधिननयमों का अनुपालन हो रहा हो।

7.3. कफर भी, कमिचाररयों, ननदेर्शकों, और अधिकाररयों को अन्य कर्मितररयों , ननदेर्शकों और अधिकाररयों के ननजी अधिकारों का सम्मान करना चाहहए, श्जसमें ववचारों की स्वतंत्र अर्भव्यश्तत और राजनीनतक सहभाधगता का व्यश्ततगत ववकल्प, ककसी पाटी के साथ सांबांध और सरकारी या राजनीनतक पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लडना र्शार्मल है। यहद कोई कमिचारी, ननदेर्शक या अधिकारी ककसी सरकारी या राजनीनतक कायाालय के र्लए चुनाव में खडे होने का फैसला करता है, तो मानव संसािन ववभाग को तुरंत इस बात की सूचना दी जानी चाहहए तांकक वो ककन्हीं संभाववत हहतों के टकराव या सरकारी कायाालय में ननयुतत होने के साथ IOCHPE-MAXION में इस व्यश्तत द्वारा ककए जाने वाले कायों की अनुकूलता का मूल्यांकन कर सके।

8. हितों के टकराव

8.1. हहतों के टकराव की श्स्थनत तब उत्तपन्न होती है जब कंपनी का कोई कमिचारी, ननदेर्शक, अधिकारी या अन्य र्शासकीय एजेंट चचाािीन ववषय को लेकर स्वतंत्र ना हो और अपने या अपने करीबी ररश्तेदारों के ननजी हहतों या कंपनी के हहतों के अलावा ककन्हीं अन्य हहतों से प्रेररत फैसले ले सकता हो।

8.2. IOCHPE-MAXION में ननजी हहतों या कंपनी के हहतों के प्रनतकूल हहतों के आिार पर व्यावसानयक फैसले लेने की अनुमनत नहीं है। इसर्लए, संभाववत हहतों के टकराव की पररश्स्थनत में पडे ककसी कमिचारी, ननदेर्शक, अधिकारी या अन्य र्शासकीय एजेंट को तुरंत इसके बारे में सूचना देनी चाहहए और संदेह होने पर इस पररश्स्थनत से संबंधित ककसी भी फैसले को प्रभाववत करने या फैसला लेने में योगदान करने से परहेज करना चाहहए।

8.3. कमिचाररयों, ननदेर्शकों और/या अधिकाररयों के बीच या इनके और कंपनी के आपूनतिकतााओं (उनके साधथयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों को र्शार्मल करते हुए) या उनके करीबी ररश्तेदारों के बीच नातेदारी, प्रेम के संबंि या अन्य करीबी ननजी ररश्तेदाररयों से इनमें से ककसी को अनुधचत प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष लाभ नहीं होने चाहहए, या इससे IOCHPE-MAXION में इनके द्वारा की जा रही गनतववधियों के प्रदर्शिन पर नकारात्तमक प्रभाव नहीं पडना चाहहए।

8.4. जैसे ही कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों को इन संबंिोिं के बारे में पता चले, उन्हें तुरंत अपने प्रबंिक या उनकी यूननट के मानव संसािन ववभाग को सूचना देनी चाहहए: (i) यहद उनका कोई करीबी ररश्तेदार कंपनी में कमिचारी है; या (ii) वगीकरण पर ध्यान हदए बबना यहद

ककसी सह-कमिचारी या ककसी आपूनतिकतािि के साथ करीबी ननजी संबंि फैसला लेने की प्रकिया को प्रभाववत करें या उनके काथि प्रदर्शिन में हस्तक्षेप करें; तांकक वो साथ र्मलकर इस बात पर ववचार कर सकें कक तया हहतों के टकराव की संभावना है और इस का समािान कैसे करना है।

8.5. ककसी भी पररश्स्थनत में उन कमिचाररयों, ननदेर्शकों या अधिकाररयों को कंपनी में एक ही वगि के अंदर प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष अिीनता के अंतगित काम करने की अनुमनत नहीं होगी, जो करीबी ररवतेदार हैं। मानव संसािन ववभाग को तुरंत ऐसी पररश्स्थनतयों की सूचना देनी चाहहए, तांकक, नैनतक सर्मनत की अगुआई के अिीन, प्रत्तयेक पररश्स्थनत की ववर्शेषताओं को ध्यान में रखकर सबसे उधचत समािान को स्वीकार ककया जा सके।

8.6. चाहे उन सभी पररश्स्थनतयों की पहचान करना संभव नहीं है जो संभाववत हहतों के टकराव की श्स्थनत को उत्तपन्न कर सकें, लेककन नीचे दी गई पररश्स्थयााँ हहतों के टकराव की आम उदाहरणें हैं:

- ऐसे ककसी आपूनतिकतािि, ग्राहक या अन्य संस्था के साथी के रूप में प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से सहभाधगता करनी श्जनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापाररक संबंि हैं या जो ऐसे संबंि बनाने की इच्छा रखते हैं (साविजननक कंपननयों के प्रबंिन पर प्रभाव डाले बबना इनके र्शेयरों में ननवेर्श करने के अलावा), या ननदेर्शक या अधिकारी, सलाहकारी या पयिवेक्षी मंडल के सदस्य, या ऐसी संस्थाओं के सलाहकार के रूप में काथि करना;
- ऐसा कोई करीबी ररवतेदार होना जो ऐसे ककसी आपूनतिकतािि, ग्राहक, व्यवसानयक प्रनतस्पद्िी या अन्य संस्था का प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से भागीदार है श्जसके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापाररक संबंि हैं या जो ऐसे संबंि बनाने की इच्छा रखते हैं (साविजननक कंपननयों के प्रबंिन पर प्रभाव डाले बबना इनके र्शेयरों में ननवेर्श करने के अलावा) या जो ननदेर्शक या अधिकारी, सलाहकारी या पयिवेक्षी मंडल के सदस्य, या ऐसी संस्थाओं के सलाहकार के रूप में काथि करता हो;
- ऐसे ककसी आपूनतिकतािि, ग्राहक, व्यवसानयक प्रनतस्पद्िी या ककसी अन्य संस्था से ननजी लाभ प्राप्त करना श्जनके IOCHPE-MAXION के साथ व्यापाररक संबंि हैं या जो ऐसे संबंि बनाने की इच्छा रखते हैं;
- व्यश्ततगत प्रकृनत की कोई पद, काम, या बाहरी श्जम्मेदारी स्वीकार करना जो कंपनी में उनके काम के समय, प्रदर्शिन या उत्तपादकता को खतरे में डाल सकती हो या व्यवसानयक बाजार में प्रनतस्पद्िी की प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से काम में सहायता करना।

8.7. IOCHPE-MAXION के सभी पूणम-कतललक कमिचाररयों, ननदेर्शकों या अधिकाररयों को उनके द्वारा पाटि-टाइम काथि करने की इच्छा की सूचना पहले ही अपने प्रबंिक या अपनी यूननट के मानव संसािन ववभाग को देनी चाहहए तांकक ककसी संभाववत हहतों के टकराव का मूल्यांकन ककया जा सके।

8.8. पारदर्शी होना सबसे बेहतरीन ढंग है। चाहे ही हहतों के टकराव की घटना आववयक रूप से दुराचार नहीं है, लेककन इसके बारे में सूचना ना देने से इस आचार-संहहता में हदए गए अनुर्शासननक उपायों के अनुप्रयोग के अिीन इसका उल्लंघन होता है।

8.9. इस संहहता के प्रयोजन में, ककसी व्यश्तत के बच्चों, सौतेले बच्चों, पोते/पोनतयों, वपता और माता, पनत/पत्तनी या साथी, बहन-भाई, िितत और िितत , भतीजों और भतीजीयों, सास-ससुर, बेटी के पनत और बेटे की पत्तनी, पनत/पत्तनी के भाईयों और पनत/पत्तनी की बहनों या संदेह अिीन व्यश्तत पर ननभिर करने वाले ककसी भी व्यक्ती को उसके "करीबी ररवतेदार" माना जाता है।

9. आपूततशकताश और सेवा प्रदाता

9.1. IOCHPE-MAXION को अपने आपूनतिकतािओं के साथ संबंिोंं में नैनतकता, ईमानदारी और पारदर्शिता भी चाहहए। IOCHPE-MAXION के कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों को कंपनी के सविश्रेष्ठ हहतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी, ननष्पक्ष और पारदर्शी मापदंडों के आिार पर आपूनतिकतािओं का चयन करते, ठेका लेते समय और काम पर रखे रखने के दौरान साविानी बरतनी चाहहए: श्जनमें प्रनतष्ठा और नैनतक आचरण, प्रनतस्पद्िाि, गुणवत्तता, सेवा का स्तर, तकनीकी नवाचार, समय सीमा के अंतगित अनुपालन, प्रनतयोधगता की भावना, और आधथिक और ववत्ततीय श्स्थनत र्शार्मल हैं।

9.2. IOCHPE-MAXION के आपूनतिकतािओं को बाल मजदूरी या ककसी प्रकार की गुलामी या जबरन मजदूरी या बलपूविक मजदूरी की आज्ञा आववयक नहीं देनी चाहहए। और ना ही उन्हें मानव तस्करी का समथिन करना चाहहए, इसमें योगदान देना चाहहए, इसमें सहायता करनी चाहहए या इसे अंजाम देना आसान बनाना चाहहए और ना ही ककसी तरह के र्शारीररक या मनोवैज्ञाननक र्शोषण को र्शार्मल करते हुए अनुर्शासननक उपायों को सहि करना चाहहए।

9.3. IOCHPE-MAXION और इसके आपूर्तिकर्ताओं के बीच संबंध को उचित दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए, जिसमें इस संहिता का पालन करने के लिए ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व के बारे में विशिष्ट खंड शामिल हों, साथ ही साथ लागू कानूनों और विनियमों के साथ, जिनमें श्रम संबंध, मजदूरी और लाभ, कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से संबंधित सिद्धांत भी शामिल हैं ।

9.4. IOCHPE-MAXION अपने उत्पादों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को इस तरह से सोर्स करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सशस्त्र संघर्षों या मानवाधिकारों के उल्लंघन का समर्थन, योगदान, सहायता या सुविधा प्रदान नहीं करता है। इसमें ऐसी सामग्रियां शामिल हैं जिनमें टिन, टंगस्टन, टैंटलम और सोना हो सकता है, जिन्हें "कॉनफ्लिक्ट खनिज" के रूप में जाना जाता है। IOCHPE-MAXION यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करता है कि इसके उत्पादों में शामिल किए जा सकने वाले किसी भी खनिज को एक जिम्मेदार तरीके से उत्पादित किया जाता है और सशस्त्र संघर्षों या मानवाधिकारों के उल्लंघन में योगदान नहीं करता है। IOCHPE-MAXION के आपूर्तिकर्ताओं को इन्हीं सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

9.5. IOCHPE-MAXION जालसाजी का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और निम्नलिखित सिद्धांतोंके लिए उचित प्रयास करता है: अपने उत्पादों में नकली भागों की शुरूआत के जोखिम को कम करना; नकली भागों और सामग्रियों का पता लगाना; इसके उत्पादों या इसकी आपूर्ति श्रृंखला में भागों और सामग्रियों के किसी भी नकली मामलों की रिपोर्ट करना; और इसके उत्पादों से किसी भी नकली हिस्से को हटा देना। IOCHPE-MAXION के आपूर्तिकर्ताओं को इन्हीं सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

9.6. इस संहहता में हदए गए कतिव्यों की अवज्ञा करने वाले आपूनतिकतािओं के साथ इकरारनामे संबंिी या ककसी अन्य ककस्म के संबंि का इकरार करने, इसको बनाए रखने या इसका नवीनीकरन करने की अनुमनत नहीं है।

10. ग्राि क

10.1. गनत, समय की पाबंदी, गुणवत्तता, प्रनतयोधगता की भावना और तकनीकी नवाचार, नैनतक तरीके से कायि करने और लागू कानूनों और अधिननयमों के साथ अनुपालन के ववषय में अपने ग्राहकों की आववयकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में IOCHPE-MAXION अपने उत्तपादों और सेवाओं को उत्ततम बनाने के र्लए वचनबद्द है।

10.2. IOCHPE-MAXION का अपने ग्राहकों के साथ ररवता IOCHPE-MAXION के उत्तपादों और सेवाओं के संबंि में पारदर्शी, ननष्पक्ष, उधचत ढंग और जल्दी से संबंधित जानकारी के प्रेषण पर आिाररत है, जो

ववर्शेष रूप से इस उ◌ेवय के र्लए अधितकृत कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों द्वारा प्रदान ककए जाते हैं।

10.3. IOCHPE-MAXION के ग्राहकों की गोपनीय जानकारी को सुरक्षक्षत वातावरण में सुरक्षक्षत और प्रेवषत ककया जाएगा। यह कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों और लागू होने पर IOCHPE-MAXION के आपूनतिकता◌िओं पर भी ननभिर होगा कक वो कंपनी के वातावरण में जानकारी की सुरक्षा बनाये रखें।

10.4. इस बात पर दृढ़ता से यकीन करते हुए कक स्वतंत्र और खुली प्रनतस्पद्दा◌ि रचनात्तमकता को प्रेररत करती है और ननरंतर सुि◌ार को बढ़ावा देती है, IOCHPE-MAXION प्रनतयोधगता के र्लए बने कानूनों और अधिननयमों का पूणि रूप से अनुपालन करने के र्लए वचनबद्द है। ऊपर उश्ल्लखखत ननयम इसके कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों और साथ ही कंपनी को कानूनन और प्रत्तयक्ष रूप से प्रस्तुत करने वाले तीसरे पक्ष के कायों की अगुवाई करेंगे, और इसी के साथ ऊपर र्लखी हुई सभी पाहटियााँ प्रनतयोगी प्रकिया को ननष्फल या उसके साथ कपट करने के र्लए बनायी गई कायि-ववधियााँ या कायि करने से वश्जित हैं।

11. भ्रष्टाचार का ववरोध

11.1. IOCHPE-MAXION में कंपनी के कारोबार या गनतववधियों का संचालन करते समय और साथ ही सरकारी प्रर्शासकीय एजेंटों और ननजी सेतटर से व्यश्ततयों के साथ बात-चीत करते समय सभी कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों, और आपूनतिकता◌िओं को नैनतक, ईमानदार और पारदर्शी ढंग से कायि करने की आववयकता है।

11.2. IOCHPE-MAXION के कमिचारी, ननदेर्शक और अधिकारी, और साथ ही इसके आपूनतिकता◌ि ककसी भी रूप में या ववषय में भ्रष्टाचार का ववरो◌ि करने या इसे बदा◌िर्शत ना करने की श्जम्मेदारी लेते हैं और ऐसा करने के र्लए वचनबद्द हैं, और इस वचनबद्दता के प्रनतकूल व्यवसानयक अवसरों को पूरी दृढ़ता के साथ ना कहने की श्जम्मेदारी लेते हैं।

11.3. भ्रष्टाचार के ववरूद्द लडाई और सरकारी प्रर्शासन और सरकारी संपश्त्तत के र्लए अहहतकर कायों के संबं◌ि में IOCHPE-MAXION पर लागू ववर्भन्न कानूनों और अधिननयमों को ध्यान में लेते हुए, श्जनमें हद ब्राजीर्लयन ऐंटी-करप्रशन लॉ (लॉ नंबर 12,846/2013), हद फोरेन करप्ट प्रैश्तटसेज ऐतट ऑफ 1977 (FCPA) और हद UK ब्राइबरी ऐतट (UKBA) ("भ्रष्टाचार-ववरो◌ि◌ी ननयम") र्शार्मल हैं, कंपनी के हहतों में या कंपनी की तरफ से प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से कायि करने वाले कंपनी के कमिचारी, ननदेर्शक, अधिकारी और तीसरे पक्ष प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से नीचे हदए हुए कायि करने से वश्जित हैं।

- IOCHPE-MAXION के पक्ष में फैसले करवाने, या IOCHPE-MAXION के हहतों को प्रभाववत करने वाला ननजी लाभ प्राप्त करने के र्लए ककसी व्यश्तत, खास तौर पर सरकारी प्रर्शासकीय एजेंटों या तीसरे पक्षों को कोई अनुधचत लाभ प्रस्तुत करना, के र्लए वायदा करना, को फुसलाना, प्रदान करना या अधिकृत करना;
- "सहूलीयत भुगतान" प्रस्तुत करना, यत करि के र्लए वायदा करना, फुसलाना, प्रदान करना या अधिकृत करना, यह सरकारी प्रर्शासकीय एजेंटों, या उनसे संबंधित तीसरे पक्ष को ज़्यादातर रोजाना या गैर-वैकश्ल्पक कायों में तेजी लाने जैसे कक अनुमनत, लाइसेंस, सीमार्शुल्क दस्तावेज और अन्य आधिकाररक दस्तावेज प्राप्त करने जैसे लाभ लेने के इरादे से हदए जाने वाले भुगतान हैं श्जन्हें महत्तवहीन माना जाता है;
- ि◌मककयों, ब्लैकमेल, जबरि वसूि◌ी और लालच के पररणामस्वरूप अनुधचत लाभ प्रस्तुत करना, के र्लए वायदा करना, फुसलाना, प्रदान करना या अधिकृत करना, बर्शते कक उस

व्यश्तत या उसके करीबी ररवतेदार की सुरक्षा खतरे में हो, श्जस पररश्स्थनत में उसे श्जतनी जल्दी हो सके, इस बात की सूचना अनुपालन ववभाग को देनी चाहहए;

- ररववत देना या लेना;
- तीसरे पक्षों के पक्ष में फैसले करवाने या IOCHPE-MAXION के हहतों को प्रभाववत करने वाला ननजी लाभ प्राप्त करने के र्लए आपूनतिकताि ओं और ग्राहकों सहहत तीसरे पक्षों द्वारा हदए जा रहे अनुधचत फायदों के र्लए अनुरोि करना या उन्हें स्वीकार करना;
- अवैि कायों के अभ्यास को ववत्ततपोवषत करना, के र्लए ननधि प्रदान करना या उनका प्रायोजन करना;
- अवैि कायि करने के इरादे से अपनी पहचान और वास्तववक हहतों को गुप्त रखने और छुपाने के र्लए मध्यवती संस्थाओं का प्रयोग करना;
- नीलामी या समझौतों में पररवतिन या छल करना;
- कंपनी या सरकारी प्रर्ासकीय एजेंटों की जाँच या ननरीक्षण गनतववधियों में रूकावट डालना या हस्तक्षेप करना;
- अनुपालन ववभाग को सूचना देने में असफल रहना यहद वे भ्रष्टाचार-ववरोिी ननयमों के उल्लंघन के साथ संबंधित प्रर्ासकीय या न्यानयक प्रकिया में र्ार्मल रहे हैं या वतिमान में र्ार्मल हैं;
- भ्रष्टाचार-ववरोिी ननयमों के तहत ककसी अन्य प्रकार का अवैि कायि करना।

11.4. इस संहहता के प्रयोजन से, "अनुधचत लाभ" से अर्भप्राय है ऐसा कोई लाभ, भुगतान या फायदा, प्रत्तयक्ष या अप्रत्यक्ष , स्पष्ट या अस्पष्ट, श्जसका कोई व्यश्तत पात्र है, और जो िन, उपहारों, दावतों, मनोरंजन, यातायात, भेंट, सेवाओं, वस्तुओं के प्रयोग, नौकरी की पेर्कर्, योगदान या दान, व्यवसानयक पररश्स्थनतयों में बदलाव, छूट, अदायगी या खचों या कजि के भुगतान का रूप ले सकता है।

11.5. व्यवसाय के सामान्य प्रवाह में कम कीमत के उपहारों, दावतों या मनोरंजनात्तमक गनतववधियों को प्रस्तुत करने या स्वीकार करने की अनुमनत हो सकती है बर्तें कक इस संदभि में IOCHPE-MAXION के ववर्ेष अंदरूनी कानूनों और साथ ही प्रत्तयेक जगह पर लागू कानूनों और अधिननयमों का अनुपालन हो रहा हो। ककसी भी पररश्स्थनत में, चाहे जो भी हो, ऐसे उपहारों, दावतों या मनोरंजनात्तमक गनतववधियों का लक्ष्य अनुधचत रूप से फैसलों को प्रभाववत करना या हहतों के टकराव उत्तपन्न करना होता है। यहद कंपनी के अंतगित प्रस्तुत या स्वीकार ककए जाने वाले उपहार, दावतों या मनोरंजनात्तमक गनतववधियों की ककस्म के संबंि में कोई संदेह हो तो, वो कमिचारी, ननदेर्क या अधिकारी अपने प्रबंिक, अपनी यूननट के मानव संसािन ववभाग या कंपनी के अनुपालन ववभाग के साथ संपकि कर सकता है।

11.6. अपने कतिव्यों को करते दौरान, IOCHPE-MAXION के ननदेर्कों और अधिकाररयों के साथ हमेर्ा कम से कम कंपनी का एक अन्य ननदेर्क, अधिकारी या कमिचारी होना चाहहए जब राजनीनतक रूप से मर्हूर व्यश्ततयों के साथ मुलाकातें करनी हो, अथाित् उन व्यश्ततयों के साथ जो लागू कानूनों और अधिननयमों द्वारा ननिािररत समय में प्रख्यात सरकारी पदववयों पर हों या रहे हों, और उनके प्रनतननधि, पाररवाररक सदस्य और करीबी र्मत्र भी।

11.7. ककसी ऐसी श्स्थनत में जब सरकारी प्रर्ासन का कोई एजेंट या ननजी सेतटर का कोई व्यश्तत जो कोई ग्राहक या आपूनतिकताि भी हो सकता है, बहस करता है कक ककसी ववर्ेश्ष्ट समस्या का हल करने के र्लए, ककसी व्यश्तत का कुछ फायदा करना होगा, या ककसी अनुधचत लाभ के र्लए अनुरोि करता है या पेर्कर् करता है, तो उस के साथ संपकि खत्तम कर देना चाहहए और समस्या की सूचना तुरंत अनुपालन ववभाग को या हॉटलाइन के माध्यम से दे देनी चाहहए, तांकक उधचत कायिवाही की जा सके।

11.8. अधिक जानकारी के र्लए, कृप्या नैनतकता और भ्रष्टाचार, और साथ ही उपहारों, दावतों और मनोरंजनात्तमक गनतववधियों के संबंि में कंपनी के अंदरूनी ननयमों को देखें। श्जस सम्स्या के साथ आप ननपट रहे हो, उसके संदेहों के साथ ही अन्य ककसी संदेह को स्पष्ट करने के र्लए, अनुपालन ववभाग के साथ संपकि करना चाहहए या हॉटलाइन का प्रयोग करना चाहहए।

12. धनशोधन की रोकथाम

12.1. िनर्शोिन वो प्रकिया है श्जसमें अवैि प्रकियाओं के साथ संबंधित िन की प्रकृनत और स्त्रोत को छुपाने का प्रयास ककया जाता है और यह अवैि िन को व्यवसानयक प्रवाह के साथ र्मला कर ऊपर दी हुई रार्श को स्थानीय अथिव्यवस्था में दाखखल करवा कर ककया जाता है ताकक यह वैि लगे या इस उ◌्ेवय से कक इसकी वास्तववक उत्तपश्त्तत या मार्लक के बारे में ना पता चले।

12.2. IOCHPE-MAXION िनर्शोिन या दहर्शत को ववत्ततपोवषत करने या हधथयारों और नर्शीली दवाईयों की तस्करी, या ऐसे कायों को ककसी भी रूप या संदभि में सुववविजनक बनाने के ककसी व्यवहार को बदाि्शत नहीँ करता है। IOCHPE-MAXION के कमिचारी, ननदेर्शक, अधिकारी और आपूनतिकताि अपने कायि-क्षेत्रों में लागू कानूनों और अधिननयमों का अनुपालन करेंगे और िनर्शोिन या दहर्शत ववत्ततपोषण और तस्करी से संबंधित ककन्हीं संहदग्ि गनतववधियों के बारे में जानने पर तुरंत हॉटलाइन को सूचना देंगे, इन गनतववधियों में असाि◌ारण या अननयमत भुगतान या अवैि उत्तपश्त्तत के आधथिक स्त्रोतों के धचन्ह र्शार्मल होंगे।

13. मीडिया

13.1. मीडडया के साथ IOCHPE-MAXION के संबंि सच्ि◌ाई और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आिाररत हैं, और इसके साथ ही कंपनी को इस बात की अच्छी तरह से समझ है कक उसे ककस बात की सूचना देनी चाहहए और माकेहटंग कायिवाही तया होती है।

13.2. मीडडया के साथ संपकि और IOCHPE-MAXION की जानकारी का प्रकटीकरण केवल उन कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों द्वारा ककया जा सकता है श्जनको स्पष्ट और उधचत ढंग से, लागू कानूनों और अधिननयमों का अनुपालन करते हुए ऐसा करने के र्लए अधिकार हदया हो। इंटरव्यू करते दौरान, अन्य साविजननक प्रदर्शिनों में या मीडडया में आटीकल या समाचार के प्रकार्शन के समय IOCHPE-MAXION के हहतों और प्रनतष्ठता की रक्षा की जाएगी।

13.3. इस संहहता के आदर्शों और हदर्शा-ननदेर्शों का अनुपालन करने के अलावा, Facebook, Instagram and LinkedIn और कई अन्य सोर्शल नेटवकों पर IOCHPE-MAXION को र्शार्मल करते हुए ववषयों के संबंि में सकिय रहने के र्लए ननम्र्नर्लखखत ननयमों का अनुपालन ककया जाना चाहहए:

- कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों, आपूनतिकताि◌ओं, ग्राहकों, कूटनीनतयों, बाजार, उत्तपादन या प्रौद्योधगकी, या अन्य ककसी गोपनीय जानकारी से संबंधित सामग्री, जानकारी या हटप्पखणयों का प्रकार्शन ना करना;
- कापीराइट और अन्य बौवद्दक संपश्त्तत के अधिकारों का उल्लंघन ना करना;
- ऐसी ककसी जानकारी को ना छापना श्जसके बारे में कोई ज्ञान या अननश्वचतता नहीं है;
- IOCHPE-MAXION से संबंधित वववाद या आलोचना की घटना में तुरंत अनुपालन ववभाग को सूचना देना।

13.4. IOCHPE-MAXION के नाम को ननजी पोस्टों के साथ जोडने की अनुमनत है जब तक इसकी प्रनतष्ठा के साथ समझौता ना हो और बर्शते कक यह पोस्टें ककसी ऐसे व्यवहार से ना जुडी हों श्जसको कंपनी स्वीकार ना करती है या पोस्टों में कोई गोपनीय या संवेदनर्शील जानकारी र्शार्मल नहीं होनी चाहहए। सोर्शल नेटवकि पर डाली जा रही जानकारी की जल्दी से प्रनत ननकाली जा सकती है और यह जानकारी

डडजीटल संसार में लंबे समय तक रहती है। इसर्लए, कुछ प्रकार्शत करने से पहले, आपको और IOCHPE-MAXION को आपकी पोस्ट या हटप्पणी से होने वाले प्रभावों पर ध्यान से ववचार या मूल्यांकन करना चाहहए।

14. जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा

14.1. IOCHPE-MAXION की तरफ से ककसी तरह का पूवि र्लखखत अधिकार ना होने तक, यह कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों का कतिव्य है कक वो IOCHPE-MAXION के साथ अपने संबंिोों की जानकारी, कोई ऐसी जानकारी जो सावजिननक रूप से प्रकट ना हो या कपनी के कायि-क्षेत्र में सभी को पता हो, और जो ककसी कमिचारी, ननदेर्शक या अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई हो, जो प्रत्तयक्ष या अप्रत्तयक्ष रूप से IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित हो, को संबंिोों के प्रभावी होने या उनके संबंि खत्तम होने के बाद ककसी भी समय ककसी व्यश्तत या संस्था को ना दें।

14.2. IOCHPE-MAXION की जानकारी की गोपनीयता और गुप्तता को सुननश्चचत करने के र्लए, कम से कम ननम्नर्लखखत ननयमों का तो अनुपालन ककया जाना चाहहए:

- IOCHPE-MAXION की बौवद्धक संपश्तत का सम्मान करें। IOCHPE-MAXION के उपकरणों और जानकारी र्सस्टमों में तैयार ककया गया और रखा गया सारा डेटा इसकी अपनी संपश्तत है;
- उधचत अधिकारों के बबना ककसी दस्तावेज, जानकारी या डेटा की सामग्री में पररवतिन ना लाएं;
- कापीराइट द्वारा सुरक्षक्षत, और IOCHPE-MAXION के अंदर तैयार ककए गए कंप्यूटर प्रोग्रामों को कापी करने से परहेज करें;
- लाइसेंस समझौतों के अिीन तीसरे पक्ष से खरीदे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों को कापी ना करें जब तक अधिकारों के मार्लक द्वारा अनुमनत ना हो;
- सूचना प्रौद्योधगकी ववभाग की अनुमनत के बबना IOCHPE-MAXION के कंप्यूटरों में प्रोग्रामों को इंस्टाल ना करें;
- लेखक को जाने बबना या उधचत अधिकारों के बबना बाहरी लोगों के सामने जानकारी प्रकट ना करें;
- अनुपालन ववभाग की अनुमनत के बबना IOCHPE-MAXION के रेडमाकि का प्रयोग ना करें;
- IOCHPE-MAXION के उत्तपादों और सेवाओं की माकेहटंग, उन्ननत या प्रकटीकरण योजनाओं, बाजार से संबंधित गुप्त बातों, प्रर्शक्षण प्रोग्रामों, ननयम पुस्तकाओं, तकनीकी जानकारी, मूल्य सूचीयों, ववत्ततीय डेटा और व्यवसानयक योजनाओं, या कंपनी की कोई अन्य गोपनीय जानकारी को सांझा ना करें;
- बाहरी गनतववधियों और प्रकार्शनों, जैसे पाठों, लेतचरों, सम्मेलनों और अकादर्मक पत्रों में और कई अन्य सािनों द्वारा IOCHPE-MAXION की जानकारी का प्रयोग करने से पहले अनुपालन ववभाग से प्राधिकरण के र्लए अनुरोि करें;
- IOCHPE-MAXION को छोडते समय, IOCHPE-MAXION की ककसी संपश्तत या दस्तावेजों को अपने पास ना रखें और कंपनी को सभी वस्तुएँ और दस्तावेज वापस कर दें चाहे मूल हो या प्रनतयाँ, और साथ ही IOCHPE-MAXION के साथ संबंि होने के दौरान र्मली, रखी और/या तैयार की गई ककन्हीं फाईलों, कोरसपोडेंस और/या संपकों को भी;
- IOCHPE-MAXION के कंप्यूटर र्सस्टमों तक अधिकार ना प्राप्त लोगों की पहुँच सीर्मत कर दें और उन्हें कभी भी अपना ननजी पासवडि ना दें।

15. सूचना प्रौद्योधगकी के स्रोत और गोपनीयता

15.1. कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों और आपूनतिकतािओं को IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित और/या इसके द्वारा प्रदान की गई ककसी या सारी सूचना प्रौद्योधगकी (उदाहरण के र्लए, हाडिवेअर, सॉफ्टवेअर, ऐप्लीकेर्शन र्सस्टम, श्जनमें इंस्टेंट मैसेश्जंग, ई-मेल, इंटरनेट और कापोरेट नेटवकि) का

प्रयोग केवल पेर्शेवर उ□ेवयों से करना चाहहए। ऐसे स्त्रोतों का इस्तेमाल अवैि, अनैनतक या पोनोग्राकफक सामग्री वाले संदेशों को भेजने या सांझा करने या ऐसी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने के र्लए सख्त रूप से वश्जित है श्जसमें पक्षपाती सामग्री या इस संहहता में प्रसुतुत ककए गए आदर्शों और हदर्शा–ननदेर्शों के प्रनतकूल सामग्री हो। डायरेतट मेल जैसे बडे–स्तर के संपकों को स्टोर करने या भेजने के र्लए IOCHPE-MAXION के इलेतरॉननक मीडडया के इस्तेमाल की अनुमनत नहीं है, जो पेर्शेवर गनतववधियों के साथ संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी।

15.2. कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों और आपूनतिकताि‍ओं को इस बात की जानकारी होनी चाहहए कक कयोंकक IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित/इसके द्वारा प्रदान ककए जाने वाले सूचना प्रौद्योधगकी के स्त्रोत और अन्य वकि टूल पूरी तरह से केवल पेर्शेवर उपयोग के र्लए हैं, इसर्लए ककसी भी समय उनके उपगोग और सामग्री के साथ इनका ननरीक्षण ककया जा सकता है। इसर्लए, IOCHPE-MAXION के पास स्थानीय कानूनों और अधिननयमों का अनुपालन करते हुए वलिडवाइड वैब ब्राउश्जंग ररकॉर्डिस, कारपोरेट ई–मेल, कंप्यूटरों और सरवरज पर स्टोर की हुई जानकारी, और IOCHPE-MAXION के साथ संबंधित और/या इसके द्वारा प्रदान ककए गए कफककस्ड और मोबाइल टेलीफोनी स्त्रोतों का ननरीक्षण करने का अधिकार आरक्षक्षत है। इसर्लए, IOCHPE-MAXION के स्त्रोतों का प्रयोग करते समय, कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों और आपूनतिकताि‍ओं को स्थानीय कानूनों और अधिननयमों के अनुपालन के अनुसार के अलावा उनके संबंि में गोपनीयता की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहहए।

15.3. बाकी सभी पररश्स्थनतयों में, प्रत्तयेक कमिचारी, ननदेर्शक, अधिकारी या आपूनतिकताि की ननजी श्जंदगी पूरी तरह से उसकी अपनी है, जब तक यह IOCHPE-MAXION में उसकी गनतववधियों के प्रदर्शिन में हस्तक्षेप नहीं करती। IOCHPE-MAXION अपने अंदरूनी ननयमों और स्थानीय कानूनों और अधिननयमों के अनुसार अपने सभी कमिचाररयों, ननदेर्शकों, अधिकाररयों, आपूनतिकताि‍ओं और ग्राहकों की गोपनीय प्रकृनत की ननजी जानकारी की गोपनीयता और गुप्तता की गारंटी देती है।

16. शेयरधारक, सम्ि‍ाववत तनवेशक और बाि‍ार के ववश्लेषण

16.1. IOCHPE-MAXION इस संहहता में बताये गए आदर्शों और हदर्शा–ननदेर्शों के साथ अनुपालन के अनुसार अपने कारोबार की सतत वृवद्द के माध्यम से अपने र्शेयरिारकों की पयाि‍प्त ररटरनों के र्लए प्रयत्तन करने के र्लए वचनबद्द है।

16.2. IOCHPE-MAXION के र्शेयरिारकों, संभाववत ननवेर्शकों और बाजार ववश्लेषकों के साथ संबंि प्रासंधगक जानकारी के सही, पारदर्शी, ननष्पक्ष और सामनयक वाताि‍लाप पर आिाररत हैं और जो उन्हें कंपनी की गनतववधियों और प्रदर्शिन की ननगरानी करने के योग्य बनाता है, बर्शते कक ऊपर उल्लखखत जानकारी हमेर्शा इस उ□ेवय के र्लए ववर्शेष रूप से अधिकृत कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों द्वारा प्रदान की जा रही हो।

16.3. र्शेयरिारकों, संभाववत ननवेर्शकों या बाजार ववश्लेषकों के साथ संपकि के सभी अनुरोिों को IOCHPE-MAXION के ननवेर्शक संबंि ववभाग के पास भेजना चाहहए, जो उधचत और सामनयक ढंग में इस तरह के संपकि करवाने के र्लए तैयार और उपलब्ि है।

तनवेशक संबंध ववाग:

- टेलीफोन: +55 11 5508 3830
- ई–मेल: ri@iochpe.com.br

17. IOCHPE-MAXION के शेयरों के साथ व्यापार

17.1. यह IOCHPE-MAXION के ननदेर्शकों और अधिकाररयों, संवैिाननक लेखा कमेटी और राजकर काउंसल के सदस्यों, यहद स्थावपत हुआ है तो, और कमिचाररयों का कतिव्य है कक **(i)** वो अभी तक बाजार में ना प्रकट हुई कंपनी की प्रसांधगक जानकारी की सुरक्षा करें और उसे राज रखें, और साथ ही यह सुननश्वचत करने के र्लए हर प्रयास करें कक उनके नीचे काम करने वाले भरोसेमंद कमिचारी और तीसरे पक्ष भी ऐसा ही करें, और **(ii)** अपने या तीसरे पक्ष के लाभ के र्लए ऐसी ववर्शेष जानकारी का प्रयोग ना करें। प्रसांधगक जानकारी कोई भी ऐसी जानकारी होती है जो काफी हद तक IOCHPE-MAXION द्वारा जारी ककए गए र्शेयरों और अन्य र्सतयोररटीज के बाजारी मूल्य को या ऐसे र्शेयरों और र्सतयोररटीज को खरीदने, बेचने, संभाल कर रखने, या प्रयोग करने के ननवेर्शकों के अधिकारों को प्रभाववत कर सकती हो।

17.2. एक सािारण ननयम के रूप में, IOCHPE-MAXION के उन ननदेर्शकों, अधिकाररयों, संवैिाननक लेखा कमेटी और राजकर काउंसल के सदस्यों, यहद स्थावपत हुआ है तो, और कमिचाररयों के र्लए IOCHPE-MAXION द्वारा जारी ककए गए र्शेयरों और अन्य र्सतयोररटीज के साथ व्यापार करना वश्जित है, श्जनको अभी तक बाजार में प्रकट ना हुई प्रसांधगक जानकारी के बारे में पता है। यही ननषेि कंपनी के आपूनतिकतािओं और प्रसांधगक जानकारी के जानकार उन अन्य व्यश्ततयों पर भी लागू होता है, श्जन्हें यह भी पता है कक अभी तक यह जानकारी बाजार में प्रकट नहीं हुई है।

17.3. उपर उल्लखखत व्यश्ततयों को IOCHPE-MAXION की त्रैमार्सक जानकारी और सालाना ववत्तीय बयानों के प्रकटीकरण के पंद्रह (15) हदन पूवि के समय दौरान भी IOCHPE-MAXION द्वारा जारी ककए गए र्शेयरों और अन्य र्सतयोररटीज के साथ व्यापार करने की अनुमनत नहीं है।

17.4. इसके अनतररतत, IOCHPE-MAXION की र्सतयोररटीज की व्यापार और जानकारी प्रकटीकरण नीनत का अनुपालन, जो कंपनी और हद ब्राजीर्लयन र्सतयोररटीज और एतसचेंज कमीर्शन ("CVM") की वैबसाइट पर र्मल सकती है, IOCHPE-MAXION और खास तौर पर CVM द्वारा जारी की गई र्सतयोररटीज के व्यापार पर लागू कानूनों और अधिननयमों के साथ ककया जाना चाहहए।

18. लेखा ररकॉिि और ववत्तीय वववरण

18.1. IOCHPE-MAXION के लेखा ररकॉडि अवश्य ही लागू कानूनों और अधिननयमों, आमतौर पर स्वीकृत लेखा आदर्शों एवं कंपनी के अंदरूनी ननयमों के अनुसार ननर्मित ककए जाने चाहहए।

18.2. IOCHPE-MAXION सटीक, संपूणि, सही एवं अॉडडट ककए जाने योग्य लेखा ररकॉडि रखने के र्लए प्रनतबद्द है वो भी ककसी चूक या छल-कपट के कायों को स्वीकृनत हदए बबना, कफर चाहे वो गलती से हो या िोखेबाजी के साथ हो। आचरण जैसे कक दस्तावेजो की जालसाजी, ररपोटि को गलत जानकारी के साथ भरना और आपूनतिकतािओं को ननयत दाम से अधिक मूल्य पर ननयुतत करना, िोखेबाजी की उदाहरणें हैं और ये इस सहहंता में प्रदान ककए गए अनुर्शासननक उपाय लागू ककए जाने का कारण बनेंगी।

18.3. IOCHPE-MAXION की सभी प्रनतबद्दताओं एवं भुगतानों का अनुमान और कायािन्वयन केवल कंपनी के अंदरूनी ननयमों के अनुसार स्वीकृनत के समथि स्तर से पूवि अनुमनत के साथ ककया जा सकता है। IOCHPE-MAXION के सभी लेखा ररकॉडि ववधिवत रूप से अधिकृत उपभोतताओं द्वारा कायािश्न्वत ककए जाने चाहहए।

18.4. IOCHPE-MAXION के आधथिक ववववरण आम तौर पर स्वीकृत लेखा आदर्शों के अनुसार तैयार ककए जाएंगे और उनका प्रकटीकरण लागू लेखा घोषणाओं एवं अधिननयमों में स्थावपत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

19. भशकायतें एवं िॉटलाइन

19.1. IOCHPE-MAXION अपने कमिचाररयों, ननदेशकों, अधिकाररयों, आपूनतिकतािओं और तीसरे पक्षों को सािारण तौर पर ऐसे ककसी भी कायि या श्स्थनत के बारे में सूचना देने के लए प्रोत्तसाहहत करती है जो उन्हें लगता है कक इस आचार सहहंता, IOCHPE-MAXION के अंदरूनी ननयमों या इस पर लागू होने वाले कानूनों एवं अधिननयमों का उल्लंघन है या हो सकता है, श्जससे मामले की जाँच की सुगम और शीघ्र कायिवाही ककए जाने के लए उपलब्ि अधिकतम जानकारी प्राप्त होगी। ककसी संहदग्ि उल्लंघन की श्स्थनत में तुरंत कायिवाही कंपनी, उसके कमिचाररयों, ननदेशकों और अधिकाररयों के साथ-साथ पूरी तरह से समाज को होने वाले नुकसान को रोकने या सीर्मत करने में मदद कर सकती है।

19.2. IOCHPE-MAXION के ककसी भी कमिचारी, ननदेशक, अधिकाररयों और आपूनतिकताि, श्जसे उधचत संदेह है या उल्लंघन या दुव्यिवहार का पता चलता है, कफर चाहे वो कायिवाही से हुआ हो या चूक से, उसका प्रवनात्तमक कायि या श्स्थनत की सूचना देने का कत्ततिव्य और श्जम्मेदारी है, और कायिवाही करने में संदेहजनक होने पर उसे सलाह लेनी चाहहए। ककसी ज्ञात या समुधचत रुप से संहदग्ि उल्लंघन की जान बूझ कर सूचना न देना संहहता में स्थावपत अनुशासननक उपायों के लागू ककए जाने की चूक का ववषय है।

19.3. संहदग्ि उल्लंघनों और र्शकायतों की सूचना सीिे र्शकायतकताि के प्रबंिक, उसकी इकाई के मानव संसािन ववभाग, या हॉटलाइन के माध्यम से की जा सकती है, श्जससे सूचना या र्शकायत गुमनाम रूप से की जा सकती है।

19.4. हॉटलाइन, या ककसी अन्य माध्यम से प्राप्त संहदग्ि उल्लंघनों और र्शकायतों की सभी सूचनाओं को स्वतंत्रता, ननष्पक्षता, उधचत पद्नत और कानूनी सहायता के साथ दजि ककया जाएगा और उसकी जाँच की जाएगी।

19.5. सूचनाकताि की सुरक्षा संहदग्ि उल्लंघनों और र्शकायतों की अज्ञात सूचनाएं प्राप्त करने की संभावना और सूचनाकताि के खखलाफ प्रनतशोि पर प्रनतबंि के द्वारा सुननश्चत है। उधचत जांच प्रकियाओं के अनुसार इसके संभव होने और कानूनी रूप से स्वीकायि होने की सीमा तक, संहदग्ि उल्लंघनों और र्शकायतों की प्राप्त ककसी भी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा, श्जसमें स्वेच्छा से खुद की पहचान बताने वालों की सुरक्षा करना भी शार्मल है।

19.6. IOCHPE-MAXION की हॉटलाइन संचार का एक सुरक्षक्षत माध्यम है और हदन में 24 घंटे, सप्ताह के सातो हदन उपलब्ि है, और इसे ननम्न तरीकों द्वारा ऐतसेस ककया जा सकता है:

िॉटलाइन:

- इलेतरॉननक फॉमि इस वेबसाइट पृष्ठ पर उपलब्ि है: https://hotline.iochpe.com.br/
- टैलीफोन: +55 11 5508 3817
- ई-मेल: ethics@iochpe.com.br

19.7. हॉटलाइन को IOCHPE-MAXION के अंदरूनी लेखापरीक्षा ववभाग द्वारा ननष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रबंधित ककया जाता है, जो संहदग्ि उल्लंघनों और र्शकायतों की सूचनाएं प्राप्त करता है, मामला दजि करने के लए आववयक जानकारी एकत्र करता है और जांच प्रकियाओं को समायोश्जत करता है, श्जसे ववशेषज्ञ कंपननयों के सहयोग से, आंतररक या बाहरी रूप से कायाश्न्वत ककया जा सकता है।

19.8. श्स्थनत, संभाववत प्रभाव, साक्ष्य या सबूतों की मौजूदगी सहहत अन्य कारकों के आिार पर जाँच की समय अवधि और प्रकियाएं र्भन्न हो सकती हैं; इसर्लए, जो व्यश्तत ऊपर बताए गए इलेतरॉननक फॉमि या

पते के माध्यम से ईशकायत करता है उसे उसकी गोपनीयता पर प्रनतकूल रूप से प्रभाव डाले बबना मामले की प्रगनत की ननगरानी के लए प्रोटोकॉल नंबर प्राप्त होगा।

19.9. संहदग्ि उल्लंघनों और ईशकायतों की सभी सूचनाओं को IOCHPE-MAXION की नैनतकता सर्मनत को समय-समय पर सूधचत ककया जाएगा, श्जसका उ ेवय अन्य चीजों के साथ उन मामलों में अंदरूनी लेखा परीक्षा ववभाग का समथिन करना है श्जसमें संभाववत दुव्यिवहार शार्मल है।

19.10. यहद सूधचत ककया गया मामला कंपनी के अंदरूनी लेखापरीक्षा ववभाग के सदस्य से संबंि रखता है, तो ईशकायतकताि IOCHPE-MAXION की वैिाननक लेखा परीक्षा सर्मनत के समन्वयक को सीिे अपनी सूचना या ईशकायत प्रेवषत करने का ववकल्प चुन सकता है। उसके लए वह इस ई-मेल पते का प्रयोग कर सकता(ती) है: cae@iochpe.com.br, जो नैनतकता सर्मनत के सहयोग से उधचत जाँच को सुननश्चित करने के लए पयाप्ति कायिवाहहयां करने के लए श्जम्मेदार होगा।

19.11. IOCHPE-MAXION गुमनामी, गोपनीयता और प्रनतशोि पर ननषेि के ननयमों के सख्त अनुपालन को सुननश्चित करेगी तयोंकक यह हॉटलाइन में ववववास सुननश्चित करने में एक महत्तवपूणि कारक है।

20. गैर-प्रततशोध

20.1. IOCHPE-MAXION इस सहहंता, IOCHPE-MAXION के अंदरूनी ननयमों या इस कंपनी पर लागू होने वाले कानूनों और अधिननयमों का संभाववत रूप से उल्लंघन करने वाली ककसी भी गनतववधि या श्स्थनत की सूचना देने वाले या जाँच में सहयोग देने वाले व्यश्तत के ववरुद्ध प्रनतशोि कायिवाहहयों या िमककयों को बदाश्ित नहीं करती है और उन पर प्रनतबंि लगाती है। प्रनतशोि एक उल्लंघन है श्जसकी सूचना हॉटलाइन के द्वारा की जा सकती है और की जानी भी चाहहए।

20.2. IOCHPE-MAXION का गैर-प्रनतशोि उपिम उस सूचनाकताि की सुरक्षा करता है जो श्जम्मेदारी के साथ और सद्भाव के साथ कायिवाही करता(ती) है, कफर चाहे उसकी सूचना या ईशकायत बेबुननयाद ही तयों न साबबत हो जाए। इसके पररणामस्वरूप, कमिचारी, ननदेशक, अधिकारी, आपूनतिकताि और तीसरे पक्ष संहदग्ि उल्लंघनों और ईशकायतों की सूचना बबना इस बात के डर से कर सकते हैं कक IOCHPE-MAXION के साथ उनके वतिमान या संभाववत संबंि ऐसी सूचनाओं या ईशकायतों से प्रनतकूल रूप से प्रभाववत होंगे।

20.3. उसी प्रकार, यहद कोई व्यश्तत आचरण के ककसी ववववासपूणि उल्लंघन की सूचना देने या ऐसे ककसी मामले में सलाह माँगने वाले व्यश्तत को सूचना देने से रोकने या टालने का प्रयास करता है, तो यह अपने आप में ही इस संहहता में प्रदान ककए गए अनुशासननक उपायों के लागू ककए जाने का ववषय है।

21. अनुशासतनक उपाय

21.1. IOCHPE-MAXION आचार संहहता, IOCHPE-MAXION के अंदरूनी ननयमों और/या लागू कानूनों और अधिननयमों का उल्लंघन करने वाले कमिचाररयों, ननदेशकों, अधिकाररयों या आपूनतिकताओं पर अनुशासननक उपाय लागू कर सकती है जो पररश्स्थनत के अनुसार ककसी प्रशासननक, नागररक और/या आपराधिक दानयत्तव के लए पूवाग्रिह के बबना होंगे। ननम्न अनुशासननक उपाय लागू लागू हो सकते हैं: (i) कमिचाररयों, ननदेशकों और अधिकाररयों के मामले में: मौखखक चेतावननयां, लखखत चेतावननयां, ननलंबन, उनके पद से पदच्युनत और/या ननष्कासन, चाहे वो अच्छे के लए हों; और (ii) आपूनतिकताओं के मामले में: अनुबंि का उल्लंघन और/या अनुबंि समाप्त करने की अधिसूचनाएं।

21.2. एक बार उधचत जांच प्रकियाओं को अंनतम रूप हदए जाने के बाद, प्रत्तयेक ववर्शष्ट मामले पर लागू अनुशासननक उपायों का मूल्यांकन और ननिािरण करने का ननणिय कंपनी की नैनतकता सर्मनत का होगी। मंजूररयों का इस्तेमाल समानुपाती और ननरंतर ढंग से ककया जाएगा और ननम्नर्लखखत

कारकों को ध्यान में रखा जाएगा: उल्लंघन की प्रकृनत और गंभीरता, र्शार्मल पाहटियों की श्जम्मेदारी की हद, कंपनी, इसके सदस्यों और संपूणि रूप में समाज को होने वाले नुकसान, उल्लंघन करने वाली पाटी को र्मला लाभ, इस संहहता के ककसी ननयम का कोई पूवि उल्लंघन और इसकी पुनरावृश्त्त, श्जसका वगीकरण तब ककया जाता है जब यह र्सद्द हो चुका हो कक उल्लंघन करने वाले व्यश्तत ने इसी प्रकार का उल्लंघन पहले भी ककया है। उल्लंघन की प्रकृनत के आिार पर, यह ननिािररत करने के र्लए एक आकलन ककया जाएगा कक तया अधिकाररयों या तीसरे पक्षों को सूधचत करने का कोई दानयत्व है या ऐसा करना उधचत है।

21.3. ऐसे ककसी भी उल्लंघन या दुव्यिवहार की बबना ककसी खझझक के सूचना देने की पहल श्जसमें र्शकायतकताि स्वयं र्शार्मल हो, उसे प्रोत्साहहत ककया जाता है और ककसी भी अनुर्शासननक उपायों को लागू करने को लेकर इसकी पहचान सदोषता को कम करने वाले कारक के रूप में की जा सकती है।

22. संदेि

22.1. प्रत्येक देर्श के और यहााँ तक कक एक ही देर्श के अलग-अलग क्षेत्रों के कानून, संस्कृनत और अभ्यास अलग-अलग होते हैं। चाहे इस संहहता को स्पष्ट और ववस्तृत बनाने का प्रयास ककया गया है, लेककन कफर भी ऐसी पररश्स्थनतयां उत्पन्न हो सकती हैं श्जनमें यह स्पष्ट नहीं होगा कक यह संहहता स्वीकायि है या नहीं। ककसी ववर्शेष पररश्स्थनत के संदभि में कोई संदेह होने पर या यहद आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं जो इस संहहता या IOCHPE-MAXION के अंदरूनी ननयमों के प्राविानों के साथ संबंधित नहीं है तो अपने प्रबंिक, अपनी यूननट के मानव संसािन ववभाग, IOCHPE-MAXION के अनुपालन ववभाग के साथ संपकि करें या हॉटलाइन का उपयोग करें। याद रखें कक कोई कदम उठाने से पहले सलाह लेनी हमेर्शा एक बेहतर ववकल्प होता है।

22.2. अनुपालन ववभाग कमिचाररयों, ननदेर्शकों और अधिकाररयों का अनुपालन प्रबंिन, नीनतयों और प्रकियाओं को प्रबल बनाने, प्रर्शक्षण पाठ्यिम ववकर्सत करने और संगठन के संचार माध्यमों को मजबूत

अनुपालन विभाग:

- टैलीफोन: +55 11 5508 3821
- ई मेल: compliance@iochpe.com.br

23. अनुमोदन और प्रिावशीलता

23.1. इस सहहंता को 26 र्सतंबर, 2018 को आयोश्जत एक बैठक में IOCHPE-MAXION S.A. के ननदेर्शक मंडल द्वारा अपने मूल संस्करण में अनुमोहदत ककया गया था और यह तब से प्रवृत्त है। इस संहहता में कोई भी पररर्शोिन या संर्शोिन पूविकधथत ननदेर्शक मंडल द्वारा पूवि ववचार-ववमर्शि और अनुमोदन पर ननभिर करेगा। इस सहहंता को कंपनी की वेबसाइट (www.iochpe.com.br) और CVM की वेबसाइट (www.cvm.gov.br) पर देखा जा सकता है।

* * * * *

संस्करण	प्रभावी तिथि	समीक्षा		द्वारा समीक्षित
		अनुभाग	परिवर्तन	
मूल	9/26/2018	-	-	-
संशोधन - ०१	8/25/2021	9	आइटम ९ . ३ और ९ . ४ की समीक्षा, और नए आइटम की प्रविष्टि ९ . ५	निदेशक मंडल (०८/२५/२०२१ को हुई बैठक के अनुसार)

टैम्पलेट

रसीद एवं वचनबद्धता की स्वीकृतत

मैं सभी उ□ेवयों एवं प्रयोजनों के र्लए एतद् द्वारा घोवित करता(ती) हूाँ कक मैंने Iochpe-Maxion S.A. के आचार संहहता की सांपूणम प्रत प्राप्त कर ली है, और यह कक मैं इस के प्राविानों से अवगत हूाँ और उनके साथ पूणिता अनुपालन करने के र्लए वचनबद्द होता(ती) हूाँ।

मुझे मालूम है कक यह संहहता कंपनी की वैबसाइट (www.iochpe.com.br) और CVM की वैबसाइट (www.cvm.gov.br) पर देखिे के र्लए उपलब्ि है।

अंत में, मैं घोषणा करता(ती) हूाँ कक ऐसी ककसी पररश्स्थनतयों के मामले में श्जसमें मेरे द्वारा आववयक या उपेक्षक्षत आचार के संबंि में उपरोतत संहहता में मेरे पास कोई जाहहर प्राविान या स्पष्ट संकेत नहीं होगा, तो मैं संहहता में स्थावपत ढंग से स्पष्टीकरण की मांग करूंगा(गी)।

नाम: ______________________________

पद: ______________________________

ववभाग: ___________________________

इकाई: _____________________________

स्थान: _____________________________

नतधथ: _____________________________

हस्ताक्षर: ___________________________

साविजननक जानकारी